"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2016— कार्तिक 18, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–6/खाद्य/2016/29–1.— यतः, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की राय है कि विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की समयबद्ध कस्टम मिलिंग के माध्यम से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा के उपार्जन करने के प्रयोजन के लिये तथा देश के अभाव वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक तथा समीचीन है ।

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 एवं 5 सहपठित भारत सरकार के आदेश क्र. जी.एस.आर. 800, दिनांक 9 जून, 1978 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व परामर्श से तथा छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 को अधिक्रमित करते हुये, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :–

आदेश

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.** –(1) यह आदेश छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10);

(ख) "**कलेक्टर**" से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर एवं इसमें शामिल है ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "**कस्टम मिलिंग**" से अभिप्रेत है भारत सरकार या राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उपार्जित धान का, प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मिलरों से चावल में परिवर्तित कराना;

(घ) "**कस्टम मिलिंग दर**" से अभिप्रेत है समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उपार्जित धान की मिलिंग हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर;

(ङ) "**संचालक**" से अभिप्रेत है, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़;

(च) "**चावल की आर्थिक लागत**" से अभिप्रेत है धान के कस्टम मिलिंग के पश्चात् एजेन्सी में प्रदाय किये गये चावल के लिये भारत सरकार द्वारा चावल का नियत मूल्य;

(छ) "**प्रवर्तन अधिकारी**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो अथवा पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो अथवा राजस्व विभाग का अधिकारी जो नायब तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो;

(ज) "**खाद्य निगम**" से अभिप्रेत है खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का सं. 37) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य निगम;

(झ) "**धान का समर्थन मूल्य**" से अभिप्रेत है किसी खरीफ विपणन सीजन हेतु भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य;

(ञ) "**मिलर**" से अभिप्रेत है किसी चावल मिल का स्वामी या भारसाधक कोई व्यक्ति;

(ट) "**उपार्जन**" से अभिप्रेत है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग पश्चात् परिवर्तित चावल का उपार्जन एजेंसी द्वारा जमा कराया जाना;

(ठ) "**क्रय अधिकारी**" से अभिप्रेत है किसानों से धान उपार्जन एवं मिलर से चावल उपार्जन हेतु भारतीय खाद्य निगम या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति;

(ड) "**चावल**" से अभिप्रेत है शक्ति से चलित राईस मिल में धान का छिलका निकाल कर उत्पादित या निर्मित चावल की कोई किस्म और इसमें शामिल है स्टॉक में धारित धान के समतुल्य चावल;

(ढ) "**चावल मिल**" से अभिप्रेत है संयंत्र और मशीन जिससे कि राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है और इसमें शामिल है वह परिसर एवं परिसीमा, जिसमें या जिसके किसी भाग में राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है;

(ण) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है इस आदेश से संलग्न अनुसूची;

(त) "**विनिर्दिष्टियां**" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा धान के कस्टम मिलिंग से चावल उपार्जित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान के लिये विहित विनिर्दिष्टियां;

(थ) "**राज्य एजेंसी**" से अभिप्रेत है धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) एवं चावल उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड;

(द) "**राज्य सरकार**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ध) "**राज्य**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **मिलिंग पर निर्बंधन.** –(1) राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी, किसी भी मिलर से कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध कर सकेगी ।

(2) संचालक, कलेक्टर अथवा दोनों, किसी भी समय, किसी भी मिलर को, ऐसी निर्बंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस संबंध में आदेश जारी करते हुए, नियत की जाए, राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धारित धान के स्टॉक की कस्टम मिलिंग करने हेतु निर्देश दे सकेगाः

परन्तु संचालक, कलेक्टर अथवा दोनों, किसी भी मिलर को उसकी वार्षिक मिलिंग क्षमता के आधे से अधिक को कस्टम मिलिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्देश नहीं देगा ।

(3) संचालक, कलेक्टर या दोनों के द्वारा उप–खंड (2) के अंतर्गत निर्देश दिए जाने पर, संबंधित मिलर पर यह बंधनकारी होगा कि वह किसी अन्य धान की मिलिंग के पूर्व कस्टम मिलिंग पूर्ण करे।

4. **चावल मिल का पंजीयन एवं मिलर द्वारा धान की कस्टम मिलिंग.** –(1) प्रत्येक चावल मिल, प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में पंजीयन हेतु आवेदन जिला खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात् चावल मिल का पंजीयन जिला खाद्य कार्यालय में किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक मिलर, कस्टम मिलिंग हेतु आवेदन जिला खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा । कलेक्टर, धान के कस्टम मिलिंग हेतु मिल को अनुमति प्रदान करेगा और तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं मिलर के बीच अनुबंध निष्पादित किया जाएगा ।

(3) मिलर, राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम हेतु निर्धारित कस्टम मिलिंग नीति अनुसार धान की कस्टम मिलिंग करेगा ।

(4) चावल मिलर को मिलिंग किये गये धान के लिये भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित मिलिंग दर की राशि साथ ही कस्टम मिलिंग हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो, प्रदाय की जायेगी ।

(5) मिलर को अपना मिल कस्टम मिलिंग अनुबंध पूर्ण करने तक मिल को स्थापित क्षमता के अनुरूप चालू हालत में बनाये रखना होगा तथा वह मिल को चालू हालत में बनाए रखने हेतु उसके रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) मिलर, संचालक, खाद्य से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कस्टम मिलिंग अवधि के दौरान अन्य राज्यों से धान ला सकेगा ।

5. **कस्टम मिलिंग चावल परिदान की प्रकिया.** – (1) मिलर, भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों एवं झड़ती के अनुसार भारतीय खाद्य निगम या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कस्टम मिलिंग चावल जमा करेगा।

(2) कस्टम मिलिंग चावल जमा की गुणवत्ता संबंधी कोई विवाद होने पर भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित विनिर्दिष्टियों की पुष्टि होने पर, कय अधिकारी यथासंभव मिलर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में चावल के लाट के तीन प्रतिनिधि नमूने लेकर सीलबंद करेगा । कय अधिकारी इनमें से एक नमूना मिलर या उसके प्रतिनिधि को सौंप देगा और दो नमूनों को विश्लेषण के लिए भारतीय खाद्य निगम या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रयोगशाला को भेज देगा एवं इन नमूनों के विश्लेषण का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा । यदि नमूना प्रयोगशाला में बी.आर.एल. (बियान्ड दी रिजेक्शन लिमिट) हो जाता है तो मिलर उस लॉट को स्वंय के खर्चे पर बदलकर भारतीय खाद्य निगम या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देगा ।

6. **मिलर द्वारा अभिलेखों का संधारण एवं मासिक विवरणी.** –(1) प्रत्येक मिलर धान एवं चावल के अभिलेखों का संधारण करेगा जैसा कि कमशः अनुसूची–एक (क) एवं अनुसूची–एक (ख) में विहित है।

(2) प्रत्येक मिलर, खाद्य विभाग के मिलर मॉड्यूल में कस्टम मिलिंग एवं स्टॉक की जानकारी आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(3) प्रत्येक मिलर, कय किए गए या अन्यथा प्राप्त किए गए धान, मिलर के पास उपलब्ध धान तथा चावल के स्कंध एवं मिलर द्वारा मिलिंग किए गए धान की जानकारी देते हुए अनुसूची–दो के अनुसार एक मासिक विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

7. **छूट.** – (1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट प्रदान कर सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस या निरस्त कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस आदेश के सभी या कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन से धान की किसी प्रजाति को छूट प्रदान कर सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस या निरस्त कर सकेगी ।

8. **प्रवेश, तलाशी, जप्ती आदि की शक्तियां.** –(1) प्रवर्तन अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का पालन किया गया है –

(क) किसी चावल मिल या अन्य किसी परिसर जहां उसे विश्वास करने का कारण हो कि चावल उत्पादित या स्टाक किया जाता है, ऐसे सहायकों के साथ, जैसा कि आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा;

(ख) किसी भी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा;

(ग) किन्हीं भी दस्तावेजों का या अभिलेखों का परीक्षण कर सकेगा;

(घ) मिलर द्वारा धारित चावल एवं धान के स्टाक के संबंध में ऐसी विवरिणयां प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा, जैसी कि इस आदेश के अंतर्गत कस्टम मिलिंग आंकलित करने के लिए आवश्यक हों;

(ङ) तलाशी ले सकेगा और तलाशी के उद्देश्य के लिए जहां तक आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति को रोक कर रख सकेगा और ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पाए गए चावल, धान एवं वाहन को जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है जप्त कर सकेगा और इसके पश्चात् ऐसे समस्त उपाय कर सकेगा या उनका पालन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो कि इस प्रकार जप्त चावल एवं धान के स्टाक एवं वाहन का न्यायालय में अथवा कलेक्टर के समक्ष पेश करने के लिए तथा इस प्रकार का पेश किए जाने के लंबित होने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो ।

9. **शास्ति.** –यदि कोई मिलर आदेश के किसी भी उपबंध अथवा इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश अथवा इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अनुबंध का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दण्ड एवं अनुबंध में यथा उल्लेखित शास्ति के लिये दायी होगा तथा मिल को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

10. **चावल अथवा धान का राजसात किया जाना.** – इस आदेश के खंड 9 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर संबंधित मिलर अथवा अन्य किसी व्यक्ति से खंड 8 के अंतर्गत जप्त किए गए धान एवं चावल का संपूर्ण स्टाक एवं वाहन को राजसात कर सकेगा ।

11. **अपील.** – (1) इस आदेश के अधीन प्रवर्तन अधिकारी के किसी कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश प्राप्ति या कार्यवाही की तिथि से 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा ।

(2) कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा ।

12. **आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करने का कर्तव्य.** – प्रत्येक मिलर या अन्य व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस आदेश के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश का पालन करेगा ।

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति.** – छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित किसी आदेश के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक (क)

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अंतर्गत खण्ड 6 के अंतर्गत मिलर द्वारा संधारित किए जाने वाले धान के स्टॉक रजिस्टर

(मात्रा क्विंटल में)

क.	दिनांक	धान का आरंभिक स्कंध			क्रय धान की जानकारी				मिलिंग किए गए धान की मात्रा			धान का शेष स्कंध			अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	रिमार्क
		शासकीय धान	निजी / क्रय द्वारा	योग	मंडी से क्रय मात्रा	मंडी रसीद क्रमांक	व्यौहारियों से क्रय मात्रा	व्यौहारी का नाम व पता	शासकीय धान	निजी / क्रय द्वारा	योग	शासकीय धान	निजी / क्रय द्वारा	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

अनुसूची–एक (ख)

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अंतर्गत खण्ड 6 के अंतर्गत मिलर द्वारा संधारित किए जाने वाले चावल के स्टॉक रजिस्टर

(मात्रा क्विंटल में)

क.	दिनांक	चावल का आरंभिक स्कंध			प्राप्त चावल की मात्रा				चावल का परिदान / विकय			शेष चावल का स्कंध			अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	रिमार्क
		कस्टम मिल्ड चावल	निजी / कय द्वारा	योग	कस्टम मिल्ड चावल	निजी / कय द्वारा	योग	कय चावल के व्यौहारी का नाम एवं पता	शासन को परिदान कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा	फी सेल विकय की मात्रा	योग	कस्टम मिल्ड चावल	निजी / कय द्वारा	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

अनुसूची–दो

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अंतर्गत खण्ड 6(3) के अंतर्गत राईस मिलर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी

प्रति

कलेक्टर

जिला ....

छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के खण्ड 6(3) के अंतर्गत धान की कस्टम मिलिंग एवं चावल के उपार्जन के संबंध में फर्म .... की मासिक विवरणी माह .... निम्नानुसार प्रस्तुत है–

क्र	विवरण	मात्रा क्विंटल में
1	**माह के प्रारंभ में आरंभिक स्कंध**	
1.1	चावल	
1.2	धान	
1.3	योग	
2	**माह में प्राप्त किए गए धान/ चावल की मात्रा**	
2.1	चावल	
2.2	धान (शासकीय)	
2.3	धान (निजी)	
2.4	योग	
3	**माह में मिलिंग किए गए धान की मात्रा**	
3.1	धान (शासकीय)	
3.2	धान (निजी)	
3.3	योग	
4	**माह में मिलिंग से प्राप्त चावल की मात्रा**	
4.1	कस्टम मिलिंग द्वारा	
4.2	निजी क्रय किए गए धान मिलिंग द्वारा	

4.3	योग	
5	**माह के अंत में शेष धान की मात्रा**	
5.1	धान (शासकीय)	
5.2	धान (निजी)	
5.3	योग	
6	**माह में चावल का परिदान**	
6.1	कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा	
6.2	फ्री सेल चावल की मात्रा	
6.3	योग	
7	**माह के अंत में शेष चावल की मात्रा**	
7.1	कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा	
7.2	फ्री सेल चावल की मात्रा	
7.3	योग	
8	माह में खर्च की गई बिजली की यूनिट संख्या (माह के बिजली बिल की छायाप्रति संलग्न करें)	

फर्म के प्रोप्राईटर हस्ताक्षर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 4–6/खाद्य/2016/29–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09–11–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, 9th November 2016

NOTIFICATION

No. F 4-6/Food/2016/29-1.— Whereas, the Governor of Chhattisgarh is of the opinion that it is necessary and expedient for the purpose of procuring adequate quantities of the rice for Public Distribution System in the State from the farmers under decentralized procurement scheme through timely custom milling of procured paddy at minimum support price and for the purpose of supplying rice for meeting requirement of other deficit States in the country:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with Government of India's Order No. G.S.R. 800, dated 9th June 1978, with prior concurrence of the Central Government and in supersession of the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order, 2007, the State Government, hereby, makes the following Order, namely:-

ORDER

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) This order shall be called the Chhattisgarh Rice Custom Milling Order, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In this order, unless the context otherwise requires,–

(a) "**Act**" means the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955);

(b) "**Collector**" means the Collector of the district and includes any other officer authorized by the State Government to perform all or any of the functions of the Collector under this Order;

(c) "**Custom Milling**" means conversion of paddy procured under Price Support Scheme of the Central or State Government or any of its agency into rice by millers as per norms fixed by the Government of India for each kharif Marketing Season;

(d) "**Custom Milling Charges**" means the charges specified by the Government of India, from time to time, for milling of Paddy procured under Price Support Scheme;

(e) "**Director**" means Director of Food, Civil supplies and Consumer Protection, Chhattisgarh;

(f) "**Economic Cost of Rice**" means the price of rice fixed by the Government of India for the rice delivered to the agencies after custom milling of paddy;

(g) "**Enforcement Officer**" means an officer of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department of the State Government not below the rank of the Food Inspector or a Police Officer not below the rank of the Sub-Inspector or an officer from Department of Revenue not below the rank of Naib Tehsildar;

(h) "**Food Corporation**" means the Food Corporation of India established under Section 3 of the Food Corporations Act, 1964 (No. 37 of 1964);

(i) "**MSP for paddy**" means the Minimum Support Price fixed by the Government of India for any Kharif Marketing Season;

(j) "**Miller**" means the owner or any person in charge of a rice mill;

(k) "**Procurement**" means rice deposition by procurement agency after custom milling of procured paddy on Minimum Support Price;

(l) "**Purchase Officer**" means any authority or person appointed by the Food Corporation of India or the State Government for procuring paddy from farmers and rice from millers;

(m) "**Rice**" means any variety of rice produced or manufactured by de-husking paddy in a mill worked by power and includes rice equivalent of paddy held in stock;

(n) "**Rice Mill**" means the plant and machineries with which, and the premises including precincts or in any part of it thereof, rice milling operation is carried on;

(o) "**Schedule**" means the Schedule appended to this Order;

(p) "**Specifications**" means the specifications prescribed for paddy under Price Support Scheme and resultant rice from custom milling of paddy so procured by the Government of India in a Kharif Marketing Season;

(q) "**State Agency**" means the Chhattisgarh State Cooperative Marketing Federation Limited for paddy procurement and the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation for rice procurement;

(r) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(s) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. **Restrictions on milling** – (1) The State Government or any of its agencies may enter into an agreement with any miller for custom milling.

(2) The Director, the Collector, or both, may, at any time, on such terms and conditions, as may be fixed by the State Government by issuing an order from time to time in this regard, direct any millers for custom milling of stock held by the State Government or any of its agencies or Government of India or any of its agencies under Price Support Scheme:

Provided that the Director, the Collector or both shall not direct any miller to use more than half of his annual milling capacity for the purpose of custom milling.

(3) On being directed by the Director, the Collector or both under sub-clause (2) it shall be binding on the miller to complete the custom milling before milling any other paddy.

4. **Registration of rice mill and custom milling of paddy by miller.-** (1) Every rice miller shall submit the application in the District Food Office for registration of mill in each Kharif Marketing Season. The Rice Mill shall be registered in the District Food Office after physical verification by an officer appointed by the Collector.

(2) Every rice miller shall submit the application in District Food Office for custom milling. Collector may give permission to the mill for custom milling of paddy and thereafter an agreement shall be executed between the Chhattisgarh State Cooperative Marketing Federation Limited and miller.

(3) The Miller shall undertake custom milling of paddy according to custom milling policy formulated by the State Government for Kharif Marketing Season.

(4) The Rice Miller shall be paid the milling charges as fixed by the Government of India for the milled paddy alongwith incentive, if any, fixed by the State Government for custom milling.

(5) The Miller should maintain the mill in working condition, consistent with installed capacity, till completion of custom milling agreement and it shall be the responsibility of the miller to undertake maintenance of the mill to keep it in working condition.

(6) The Miller can bring paddy from other State during Custom milling period only after getting permission from the Director, Food.

5. **Procedure of deposition of custom milled rice** – (1) The Miller shall deposit custom milled rice with the Food Corporation of India or the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited according to the specification and out turn ratio fixed by the Government of India for the Kharif Marketing Season.

(2) If any dispute arises regarding the quality of custom milled rice being deposited or confirming specifications fixed by the Government of India then the Purchase Officer shall take three representative samples of rice and seal them as far as possible in the presence of miller or his representative. The Purchase Officer shall, give one sample to the miller or his representative and send two samples for analysis to the laboratory of the Food Corporation of India or the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and result of the analysis shall be binding on both the parties. If the sample is beyond the rejection limit (BRL) in laboratory then miller shall after changing the lot at his or her own expenses deposit with the Food Corporation of India or the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

6. **Maintenance of records, quarterly return by miller.**–(1) Every miller shall maintain records of paddy and rice as prescribed in the Schedule-I (A) and the Schedule-I (B) respectively.

(2) Every miller shall make necessary entries of the custom milling and the stock information in miller module of Food Department.

(3) Every miller shall submit a monthly return to the Collector as per the Schedule-II, giving information of paddy purchased or procured in any other manner, stocks of paddy and rice available with the miller and paddy milled by the miller.

7. **Exemption.**– (1) The State Government may, by a general or special order, exempt any person or class of persons from any or all provisions of this order, and may at any time revoke or cancel such exemption.

(2) The State Government may, by a general or special order, exempt any variety of paddy from any or all provisions of this order, and may at any time revoke or cancel such exemption.

8. **Powers of entry, search and seizure, etc.**– (1) Enforcement Officer may, with a view to ensure compliance with the provisions of this Order or for satisfying himself that this Order has been complied with,–

(a) enter, with such assistance as may be necessary, in any rice mill or other premises where he has reason to believe that rice is produced or stocked;

(b) ask any person all necessary questions;

(c) examine any documents and records;

(d) call for the submission of such returns relating to the stocks of paddy and rice held by miller as may be necessary for assessment of custom milling under this order;

(e) search, and so far as may be necessary for the purpose of search, detain any person and seize rice, paddy and vehicle found in the possession of such person with respect to which he has reason to believe that contravention of any of the provisions of this Order has been, is being or is about to be committed and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary, for the production of stock and vehicle so seized in the court or before the Collector and for their safe custody, pending such production.

9. **Penalty.**– If a person contravenes any provision of this Order or any instruction issued under this Order or any agreement made under this Order, he shall be liable for punishment under Section 7 of the Act and for penalty as mentioned in agreement and rice mill may be black-listed.

10. **Confiscation of Rice or Paddy** –Without prejudice to anything contained in clause 9 of this Order, in the event of any contravention of the provisions of this Order the Collector may confiscate entire stock of paddy, rice and vehicle seized under clause 8 from a miller or any other person.

11. **Appeal.**– (1) Any person aggrieved by any action of the Enforcement Officer under this order may appeal to the Collector within 30 days from the date of receipt of such Order or action.

(2) Any person aggrieved by an order of the Collector may appeal to the District Judge within 30 days of the date of receipt of such order.

12. **Duty to comply with orders and directions.**- Every miller or any other person shall comply with all orders and directions issued by the Competent Authority under powers conferred by this Order.

13. **Repeal and Savings.**– The Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 2007 is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the order so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. SIKARWAR, Joint Secretary.

Schedule-I(A)

Stock register of Paddy to be maintained by miller under clause 6 of the Chhattisgarh Rice Custom Milling Order, 2016

No.	Date	Opening stock of paddy			Information of purchased Paddy				Quantity of milled paddy			Balance stock of paddy			Signature of authorised person	Signature of inspecting officer	Remark
		Government Paddy	Own/ Purchased Paddy	Total	Quantity purchased from mandi	Mandi receipt number	Quantity purchased from traders	Name and address of traders	Government Paddy	Own/ Purchased Paddy	Total	Govern-ment Paddy	Own/ Purchased Paddy	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Schedule-I(B)

Stock register of Rice to be maintained by miller under clause 6 of the Chhattisgarh Rice Custom Milling Order, 2016

No.	Date	Opening stock of rice			Quantity of Rice received during month				Quantity of rice delievered/Sale			Sock of balance rice			Signature of authorised person	Signature of inspecting officer	Remark
		Custom Milled Rice	Own/ Purchased Rice	Total	Custom Milled Rice	Own/ Purchased Rice	Total	Name and address of traders from whom rice is purchased	Quantity of Custom Milled Rice delivered to Government	Quantity of Free Sale	Total	Custom Milled Rice	Own/ Purchased Rice	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

SCHEDULE - II

Monthly Statement to be submitted by miller under clause 6(3) of the Chhattisgarh Rice Custom Milling Order, 2016

To,

Collector

District - ....

Monthly statement of Custom milling of paddy and procurement of rice for the month of .... of firm .... under clause 6(3) of Chhattisgarh Rice Custom Milling Order, 2016 is as under:-

No.	Description	Qty. in Quintal
1	Opening Stock in the month	
1.1	Rice	
1.2	Paddy	
1.3	Total	
2	Quantity of Paddy/Rice received during the month	
2.1	Rice	
2.2	Paddy (Government)	
2.3	Paddy (Private)	
2.4	Total	
3	Quantity of Paddy milled during the month	
3.1	Paddy (Government)	
3.2	Paddy (Private)	
3.3	Total	

4	Quantity of rice received by milling during the month	
4.1	By custom milling	
4.2	By milling of own purchased paddy	
4.3	Total	
5	Balance quantity of paddy at the end of month	
5.1	Paddy (Government)	
5.2	Paddy (Private)	
5.3	Total	
6	Rice delivered during the month	
6.1	Quantity of custom milled rice	
6.2	Quantity of free sale rice	
6.3	Total	
7	Balance quantity of rice at the end of month	
7.1	Quantity of custom milled rice	
7.2	Quantity of free sale rice	
7.3	Total	
8	Number of electricity units consumed during the month (enclose copy of electricity bill of the concerned month)	

Signature of the proprietor of firm

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.